जन सुनवाई विवरण

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना 01.12. 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत एवं कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश क्रमांक प. 39/2( )राज./खनंन/2019/1484 दिनांक 25/08/2021 की अनुपालना में **श्री खेम सिंह राव** की प्रस्तावित क्वार्टज एवं फैल्सपार मय कलस्टर खनन परियोजना कलस्टर संख्या UD-02/29E –कुल 14 खनन पट्टे व 01 एल.ओ.आई. , (एमएल नं. 85/07, 05/13, 33/05, 34/05, 459/11, 250/12, 24/11, 102/11, 23/11, 28/11, 198/12, 437/11, 94/12 एवं 24/2013) एम.एल संख्या 13/2018, क्षेत्रफल 3.8789 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 157232 टन प्रतिवर्ष (रोम) एवं कलस्टर क्षेत्रफल 68.2594 हैक्टेयर, कलस्टर उत्पादन क्षमता 28.0 लाख टन प्रतिवर्ष (रोम) के खनन की पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु जन सुनवाई दिनांक 27.09.2021 को राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय ग्राम पंचायत खाम की मादडी, तहसील मावली जिला उदयपुर (राजस्थान) को प्रातः 11:00 बजे जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रतिनिधि श्री ओ.पी. बुनकर, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), उदयपुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

इस जन सुनवाई की सूचना नोटिफिकेशन के प्रावधानुसार तीस दिन पहले राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रो में दिनांक 27.08.2021 को (दनिक नवज्योति एवं राष्ट्रदूत) में प्रकाशित की जा चुकी है **(परिशिष्ठ "अ"**)में संलग्न है।

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उधोगमालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (**परिशिष्ठ "ब"** में सलंग्न) है।

श्री विनय कट्टा क्षैत्रीय अधिकारी ने कहा की मैं आपको अवगत करवा देना चाहता हूं कि इस जन सुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव या शिकायत की जायेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेगे तथा जन सुनवाई में होने वाली कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। उसकी सीडी /डीवीडी के

अति. जिला कलक्टर
उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

अनुरूप कार्यवृत (Minuts) बनाये जायेगे जिसको सेक्रेट्रेट ऑफ स्टेट लेवल एक्सपर्ट कमेटी (SEAC), जयपुर, राजस्थान को प्रेषित करेगे क्योंकि इस क्लस्टर का ट्रर्म्स ऑफ रेफरेन्स (Terms of Reference) दिनांक 30.07.2020 को इसी कमेटी द्वारा जारी की है।

अतः मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूं कि हम आज पर्यावरण स्वीकृति बाबत किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले रहे है , निर्णय तो सैक्रेट्रेटं ऑफ स्टेट लेवल एक्सपर्ट कमेटी (SEAC), जयपुर, रांजस्थान द्वारा ही लिया जायेगा। हम तो केवल मात्र आपके सुझाव आपके आक्षेप चाहे वो लिखित व मौखिक हो उसे कलमबद्ध करके वीडियों रिर्कोडिंग के साथ कार्यवृत (Minuts) बनाकर नोटिफिकेशन के अनुपालना स्वरूप आगे भिजवा देगें।

जनसुनवाई से पूर्व श्री विनय कट्टा क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम उदयपुर ने कहा कीं उक्त परियोजना के सम्बंध में आम सूचना के अखबार में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस तक कोई मौखिक अथवा लिखित आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

कार्यवाही विवरण

उक्त जनसुनवाई की बैठक श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) की अध्यक्षता में रखी गई जिनमें निम्न सदस्यों ने उपस्थिति दी।

1. श्री ओ.पी.बुनकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर–(प्रशासन), उदयपुर
2. **श्री विनय कट्टा क्षैत्रीय अधिकारी रा.रा.प्र.नि.म., उदयपुर,**

श्री विनय कट्टा क्षेत्रीय अधिकारी नें खान मालिक के प्रतिनिधि को आग्रह किया कि वो इस खान परियोजना से संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी देवें साथ ही खनन के दौरान पर्यावरण को होने वाले नुकसान तथा पेड़ पोधो, जल/वायु प्रदूषण यदि हो रहा है तो उसके बारे में आप द्वारा क्या उपाय किये जायेंगे तथा खान मालिकों द्वारा आप सभी ग्रामवासियों के जन कल्याण बाबत क्या योजना बनाई गयी है

अति. जिला कलक्टर
उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उसकी भी जानकारी देगें ताकि खान के निकट गांवों में रहने वाले ग्रामवासियों का सामाजिक/आर्थिक उत्थान हो सके तथा समस्त गांवो के विकास में भी बाधा भी न आवें।

इसके पश्चात् परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार **श्री उमेश कुमार शर्मा**, मैसर्स वरदान एन्वायरोनैट गुडगॉव हरियाणा ने खनन परियोजना के बारे में विस्तृत प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों को अवगत कराया।

परियोजना के पर्यावरणीय/तकनीकी सलाहकार श्री उमेश कुमार शर्मा ने ग्राम खाम की मादडी, तहसील मावली एवं जिला उदयपुर की क्वार्टज एवं फैल्सपार मय कलस्टर खनन परियोजनाओ (कलस्टर संख्या UD- 02/29E –14 खनन पट्टे व 01 एल.ओ.आई.) में प्रस्तावित क्वार्टज एवं फैल्सपार खदान (क्षेत्रफल 3.8789 हैक्टेयर, एम.एल संख्या 13/2018) व इस कलस्टर मे आने वाली परियोजनाओ की मुख्य विषेशताएं, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, कामगारों के कल्याण के लिये और प्रस्तावित् नियमित सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) से सम्बंधित जानकारी उपस्थित ग्रामवासीयों/जनसमूह को बताई गई।

श्री विनय कट्टा द्वारा उपस्थित जनसमूह को प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में पर्यावरण से सम्बंधित आक्षेप/सुझाव हेतु आमंत्रित करने हेतु कहा की आपको यदि इसके बाबत कोई सुझाव या शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले आप अपना परिचय दे जिसमें आपका नाम तथा गाँव एवं आपकी जाति बतावें साथ ही अपना सुझाव / शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझे हमें दे सकते है।

अति. जिला कलक्टर
उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उपस्थित जनता में से प्राप्त सुझाव/आक्षेप/प्रश्न/शिकायत/जानकारी का विवरण निम्न प्रकार है–

1. **श्री कान सिंह राव सरपंच खाम की मादडी** ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि पूर्व में भी यहॉ पर जो अन्य खनन परियोजनाए चल रही है जो कि कोई भी नियम के अनुरूप कार्य नही कर रही है व पूर्व की इन खनन् परियोजनाओं में ब्लास्टिग भी नियमों से नही होती है व पूर्व की इन खनन् परियोजनाओं में अवैद्य खनन् भी होता है जिसके बारें में सम्बंधित विभाग को कई बार अवगत कराया जा चुका है परन्तु कोई भी उचित कार्यवाही सम्बंधित विभाग द्धारा नही कि जाती है पूर्व की इन खनन् परियोजनाओं द्धारा खनिज का परिवहन भी नियमों से नही होता है व पूर्व कि इन खनन परियोजनाओ द्वारा कोई भी पौधारोपण नहीं किया गया ना ही किसी भी प्रकार कि कोई सहायता गॉव के विकास हेतु दी गई है नाही डी.एम.एफ.टी फंड से कोई भी राशि गॉव के विकास हेतु दी गई है नाही गाव की स्कुलों के विकास के लिए कोई कार्य पूर्व की इन खनन् परियोजनाओं द्धारा किया गया है इस कलस्टर में चलने वाली पूर्व कि खनन परियोजनाओ द्वारा रोजगार आस–पास के निवासियों को मिलता है जिस कारण ही ग्राम पंचायत द्धारा कोर्ट स्टे नहीं लिया गया। श्री खेम सिंह राव को उक्त प्रस्तावित खनन् परियोजना आंवटित होती है तो ग्राम पंचायत को व ग्राम निवासियों को कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही पूर्व कि खनन परियोजनाओं द्वारा नियम विरूद्ध कार्य करने की आपत्ति भी दर्ज कराई ।

2. **श्री देवीसिंह राव निवासी खाम की मादडी** ने कहा कि श्री खेम सिंह राव को उक्त प्रस्तावित खनन् परियोजना आंवटित होती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है व पूर्व की खनन् परियोजनाओं में ब्लास्टिग भी नियमों से नही होती है जिससे आस –पास के क्षैत्र का भू जल स्तर भी प्रभावित हुआ है व पूर्व की खनन् परियोजनाओं द्धारा खनन् कार्य नियमों से नही करने के कारण आसपास के निवासियों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है व पूर्व कि इन खनन परियोजनाओ द्वारा कोई भी पौधारोपण नहीं किया गया व पूर्व की इन खनन् परियोजनाओं में अवैद्य खनन् भी होता है

3. **श्री मोहनसिंह निवासी खाम की मादडी** ने कहा कि अगर पर्यावरण के नियमों से श्री खेम सिंह राव उक्त प्रस्तावित खनन् परियोजना में खनन् कार्य आरम्भ करतें हे तो हमें कोई आपत्ति नहीं हैव पूर्व में यहॉ पर जो अन्य खनन परियोजनाए चल रही है वे कोई भी नियम के अनुरूप कार्य नही कर रही है ।

अति. जिला कलक्टर
उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

4. **श्री उमेशसिंह राव निवासी खाम की मादडी** ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि पूर्व में भी यहॉ पर जो अन्य खनन् परियोजनाए चल रही है वे कोई भी नियम के अनुरूप कार्य नही कर रही है व श्री खेम सिंह राव को उक्त प्रस्तावित खनन् परियोजना आंवटित होती है तो ग्राम निवासियों को कोई आपत्ति नहीं है।

5. **श्री रूपसिंह राव निवासी खाम की मादडी** कि ग्राम वासियों द्धारा दर्ज कि गई उक्त आपत्तियों से वे सहमत है व साथ ही सुझाव दिया कि सरकार द्धारा खनन् परियोजनाओं का आंवटन स्कुलो के आसपास नही किया जावें ।

6. **श्री खुमाणसिंह निवासी खाम की मादडी** ने कहा कि अगर पर्यावरण के नियमों से श्री खेम सिंह राव उक्त प्रस्तावित खनन् परियोजना में खनन् कार्य आरम्भ करतें हे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

7. **श्री अर्जुनसिंह निवासी खाम की मादडी** आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि पूर्व कि खनन परियोजनाओ द्धारा कोई भी पौधारोपण नहीं किया गया है व साथ ही सुझाव दिया कि वक्षारोपण कार्यक्रम में ग्राम पंचायत की भागीदारी भी सुनिशिचित कि जावें । उक्त खनन् परियोजना का हम स्वागत करते है इस परियोजना के आने से स्थानीय निवासियों को रोजगार भी मिलेगा ।

इसके पश्चात आसपास के युवाओं ने सुझाव दिया कि बच्चों के स्कुल आने व जाने के समय पर खनिज परिवहन कम से कम किया जावें । उक्त खनन् परियोजना का हम स्वागत करते है ।

इसके पश्चात परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश कुमार शर्मा ने बताया कि अभी इस खनन परियोजना में खनन कार्य प्रारम्भ नही किया गया है व संबंधित विभागो द्वारा अनुमति मिलने पर ही खनन कार्य आरम्भ किया जायेगा। परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश कुमार शर्मा ने उपस्थित जन समुदाय से कहा कि आपकी समस्त आपत्तियां पूर्व में चल रही खनन परियोजनाओं के कारण है जिसके बारे में क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर एवं श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), उदयपुर द्वारा संबंधित विभाग को अवगत कराया जायेगा व श्री खेमसिह राव द्धारा खनन परियोजना में समस्त कार्य नियमों से किये जायेंगें जिसके लिये हम प्रतिबद्ध है।

जनसुनवाई के दौरान कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नही हुआ।

अति. जिला कलक्टर
उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

8. **श्री ओ.पी. बुनकर , अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)**, उदयपुर ने जन सुनवाई में उपस्थित ग्राम निवासीयों व पदाधिकारीयों का आभार प्रकट किया व जन सुनवाई का उद्धेश्य बताया व जन सुनवाई में प्राप्त मौखिक/लिखित आपत्तियो को प्राप्त कर मौके पर ही संम्बंधीत अधिकारियों को मौखिक/लिखित आपत्तियो के उचित निवारण हेतु निर्देश दिये व उपस्थित ग्राम निवासीयों व पदाधिकारीयो को आश्वस्त किया कि समस्त कार्य विवरण मय विडीयोग्राफी को उच्च स्तर तक अवगत कराया जायेगा।

9. **श्री विनय कट्टा** क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जा रहा है तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो रिकार्डिंग सी.डी.(**परिशिष्ठ "स"** में सलंग्न) एवं फोटोग्राफ(**परिशिष्ठ "द"** में सलंग्न) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा करता हुँ।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रशासन)
जिला–उदयपुर

अति. जिला कलक्टर
उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

(विनय कट्टा)
क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षे.का.,रा.प्र.नि.म., उदयपुर

उदयपुर को आवंटित दिनांक ... को जारी किया गया। वर्तमान में उक्त भूखण्ड प्रार्थीया के नाम आलेख दर्ज है। इनके द्वारा उक्त भूखण्ड के स्वयं के नाम के आवंटन पत्र के दस्तावेज के आधार पर अपने नाम पर लीज डीड चाही गयी है।

अतः समस्त आम खास को सूचित किया जाता है कि उक्त भूखण्ड की लीज डीड प्रार्थीया के नाम करने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन से 07 दिनों के भीतर इस कार्यालय में लिखित में प्रमाणित दस्तावेजों के साथ प्रन्यास शाखा में प्रस्तुत करें, बाद समाप्त अवधि नामान्तरण की कार्यवाही कर दी जायेगी। सूचित करें।

आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर (राज.)

क्रमांक : 498/आ.आ. क्रमांक 3653

दिनांक : 26.8.2021

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है भूखण्ड संख्या 2-प-3 जी योजना हिरणमगरी सेक्टर-5 उदयपुर में स्थित है जिसका आकार 45 वर्गमीटर है। इस प्लॉट को प्रार्थी श्री लक्ष्मीलाल लौहार पिता शांतिलाल लौहार निवासी गांव खेरोदा तहसील वल्लभनगर, उदयपुर ने अपने नाम पर नामान्तरण करने हेतु इस कार्यालय में दिनांक 10.08.2021 को आवेदन प्रस्तुत किया है।

पूर्व में उक्त भूखण्ड आवासन मण्डल उदयपुर के द्वारा दिनांक 11-5-78 को दिया गया। वर्तमान में उक्त भूखण्ड श्री ओमप्रकाश लालवानी पिता श्री बालकिशन लालवानी के नाम आलेख दर्ज है।

प्रार्थी श्री लक्ष्मीलाल लौहार पिता शांतिलाल लौहार ने उक्त भूखण्ड विक्रय विलेख पत्र के दस्तावेज के आधार पर अपने नाम पर नामान्तरण चाहा जा रहा है।

अतः समस्त आम खास को सूचित किया जाता है कि उक्त भूखण्ड श्री लक्ष्मीलाल लौहार पिता शांतिलाल लौहार के नाम करने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन से 07 दिनों के भीतर इस कार्यालय में लिखित में प्रमाणित दस्तावेजों के साथ प्रन्यास शाखा में प्रस्तुत करें, बाद समाप्त अवधि नामान्तरण की कार्यवाही कर दी जायेगी। सूचित करें।

आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर

ब्यूरो नवज्योति/उदयपुर। जिले के कोटड़ा एवं झाड़ोल क्षेत्र के लिए राहत भरी खबर है। अब क्षय रोग की पहचान के लिए इन क्षेत्रों के लोगों को जिला मुख्यालय नहीं आना पड़ेगा। केंद्र सरकार के मिशन क्षय मुक्त भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने करीब 15 लाख रुपए लागत वाली क्षय रोग की जांच करने वाली टूनोट मशीन लगाई है जिससे कुछ ही घंटों में क्षय रोग की पहचान हो सकेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ दिनेश खराड़ी ने बताया कि अब तक कोटड़ा एवं झाड़ोल क्षेत्र के मरीजों को बलगम जांच के लिए जिला मुख्यालय स्थित टीबी अस्पताल में आना होता था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर यह मशीन लगने से जांच सुविधा और आसान हो गई है। इन स्वास्थ्य केंद्रों पर अब तक सामान्य क्षय रोग की माइक्रोस्कोपी से जांच होती थी। अब उन्नत तकनीक पर आधारित टूनोट मशीन स्थापित होने से सामान्य टीबी के साथ साथ एमडीआर टीबी जैसी प्रतिरोधक स्थिति की भी जांच हो सकेगी।

एक घंटे में मिलेगी रिपोर्ट

जिला क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी डॉ अंशुल मठ्ठा ने बताया कि यह मशीन नवीनतम तकनीक पर आधारित है जिसमें सौ प्रतिशत विश्वसनीयता वाली जांच हो सकती है एवं रिपोर्ट भी 1 घंटे में प्राप्त हो जाती है। इससे टीबी के सामान्य एवं एमडीआर रोगी के अंतर का भी पता लगाया जा सकेगा। कम समय में सटीक जांच के साथ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का पता लगाया जा सकता है। सीएचसी पर स्थापित इन मशीनों के संचालन के लिए लैब टेक्नीशियन एवं अन्य स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। उदयपुर जिले को टीबी मुक्त बनाने एवं टीबी मरीजों की शीघ्र पहचान के लिए हर स्तर पर कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा जिले में पंजीकृत सभी टीबी मरीजों को निक्षय पोषण योजना के तहत इलाज के दौरान प्रतिमाह 500 रुपए का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से किया जा रहा है।

कैचमेंट एरिया में स्लरी डालने की होगी जांच

ब्यूरो नवज्योति/उदयपुर। गोगुंदा पंचायत समिति की मदारड़ा ग्राम पंचायत के नया गुड़ा में मदार-फतहसागर के कैचमेंट एरिया में डाली जा रही मार्बल स्लरी तथा इससे ग्रामीणों को हो रही पेयजल समस्या को लेकर कलेक्टर चेतन देवड़ा ने पहल करते हुए तहसीलदार स्तर पर जांच करवाने का आश्वासन दिया है।

मदारड़ा के पूर्व उप सरपंच भारत सिंह चौहान ने बताया कि इस मामले में जिला प्रशासन से हमें सूचना मिली है कि मार्बल स्लरी डंप करवाने के मामले में कलेक्टर चेतन देवड़ा ने जांच करवाने का आश्वासन दिया तथा शीघ्र ही ग्रामीणों को राहत पहुंचाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार के आदेश पर करीब 8 वर्ष पूर्व वहां मार्बल स्लरी डंपिंग यार्ड बनाया गया था। वहां हर रोज 50 से अधिक डंपर स्लरी कैचमेंट में डाली जा रही है। स्लरी के दल-दल में मवेशी ही नहीं फंस रहे हैं, बल्कि कई ग्रामीण भी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। स्लरी के कारण जल स्रोतों के दूषित होने से ग्रामीण महिलाओं को करीब पांच किलोमीटर दूर स्थित गांव के कुएं पर पानी भरने जाना पड़ रहा है। नया गुड़ा गांव का एकमात्र कुएं में मार्बल स्लरी जम चुकी है। गांव में सरकारी ट्यूबवेल है, लेकिन उसका जल स्तर काफी गिर गया है तथा उसके पानी में स्लरी के कण घुल चुके हैं। मामले में ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए मार्बल स्लरी के डंपरों का प्रवेश ही बंद कर दिया है।

आज दो जगह निःशुल्क स्वर्णप्राशन

ब्यूरो नवज्योति/ उदयपुर। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से 6 माह से 16 वर्ष के बच्चों की सुरक्षा एवं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए शहर में दो स्थानों पर निःशुल्क स्वर्णप्राशन करवाया जाएगा। वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्साधिकारी वैद्य शोभालाल औदिच्य ने बताया कि शुक्रवार सुबह 9 से 12 बजे तक शहर के सिंधी बाजार स्थित राजकीय आयुर्वेद औषधालय एवं अन्जुमन स्कूल उदयपुर में निःशुल्क स्वर्णप्राशन करवाया जाएगा।

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ: 470, यू.सी.सी.आई भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)

ई-मेल : rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं. : 0294-2491269

क्रमांक : RPCB/RO U/UDR/635

दिनांक : 26.08.2021

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय : श्री खेम सिंह राव, एम.एल.न. 13/2018 (क्षेत्रफल 3.8789 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्सपार", ग्राम-खास की मादड़ी, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज एवं फैल्सपार मय कलस्टर (एम.एल.न. 13/2018, क्षेत्रफल 3.8789 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 157232 टन प्रतिवर्ष (रोम) हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री खेम सिंह राव, एम.एल. न. 13/2018 (क्षेत्रफल 3.8789 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्सपार", ग्राम-खास की मादड़ी, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज एवं फैल्सपार मय कलस्टर (एम.एल.न. 13/2018, क्षेत्रफल 3.8789 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 157232 टन प्रतिवर्ष (रोम) ग्राम खास की मादड़ी एवं कलस्टर खनन परियोजना कलस्टर संख्या UD-02/29 E जिसमें कुल 14 खनन पट्टे (एम.एल. नं. 85/07, 05/13, 33/05, 34/05, 459/11, 250/12, 24/11, 102/11, 23/11, 28/11, 198/12, 437/11, 94/12 एवं 24/2013) जिसका कुल कलस्टर क्षेत्रफल 68.2594 हैक्टेयर एवं कलस्टर की कुल उत्पादन क्षमता 2800000 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है।

2. और चूंकि श्री खेम सिंह राव ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति के लिये आवेदन किया है।

3. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन पर्यावरण एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना का 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

4. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-

1. कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल-4 पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
3. क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, पंचम-तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर एच. अलीगंज, लखनऊ-226024 (यूपी)।
4. उपखण्ड अधिकारी, मावली, जिला-उदयपुर 5. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर
6. निदेशक पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, ब-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 27.09.2021 (सोमवार) को प्रातः 11:00 A.M. बजे, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ग्राम खास की मादड़ी, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/ आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

विद्युत निगम का निजीकरण आमजन के साथ एक धोखा

ब्यूरो नवज्योति, उदयपुर। विद्युत महासंघ के आह्वान पर गुरुवार को प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन विद्युत निगमों में हो रहे निजीकरण के विरोध में किया गया। उदयपुर में विद्युत कर्मियों ने प्रदर्शन कर मुख्य अभियंता एवं जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय मजदूर संघ जिला उपाध्यक्ष प्रतीक सिंह राणावत ने बताया कि पटेल सर्कल स्थित विद्युत कार्यालय पर करीब 485 कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन किया। अध्यक्षता अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के वृत्तीय अध्यक्ष हेमराज डांगी व प्रसारण श्रमिक संघ के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने की। संचालन वृत्तीय संयुक्त महामंत्री कपूरचंद ने किया। विशिष्ट अतिथि विद्युत के अखिल भारतीय महामंत्री अमर सिंह सांखला, डिस्कॉम कार्यकारी अध्यक्ष भरत किशोर सुवालका, महासंघ संगठन मंत्री आजाद सिंह हाड़ा, डिस्कॉम मंत्री राजकुमार सुथार थे। भरत किशोर सुवालका ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि विद्युत निगम में हो रहा निजीकरण आमजन के साथ एक धोखा है। अधिकारी एवं सरकार निजीकरण के नाम पर कमीशन खोरी कर रहे हैं। अमर सिंह सांखला ने पूरे देश के अलग-अलग प्रदेशों में विद्युत विभाग के सुधारु ढांचे पर प्रकाश डाला। सभा को जिला मंत्री गजेंद्र सिंह राणावत, भद्र पाल, डालचंद, पुरुषोत्तम, मन्नाराम, भगवती मेनारिया, हिम्मत सिंह, लाल सिंह सिसोदिया आदि ने संबोधित किया।

विभिन्न कारणों से निम्नानुसार स्थगित की जाती है:-

(1) दिनांक 08.09.2021 को आयोजित होने वाली वार्षिक एवं सेमेस्टर पद्धति की सभी परीक्षाएं राजस्थान सरकार द्वारा पीटीईटी प्रवेश परीक्षा-2021 आयोजन के कारण स्थगित की जाती है।

(2) दिनांक 13.09.2021, 14.09.2021 व 15.09.2021 को आयोजित होने वाली वार्षिक एवं सेमेस्टर पद्धति की सभी परीक्षाएँ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उपनिरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर (गृह विभाग) पुलिस प्रतियोगी परीक्षा, 2021 आयोजन के कारण स्थगित की जाती है।

(3) दिनांक 18.09.2021 को आयोजित होने वाली वार्षिक एवं सेमेस्टर पद्धति की सभी परीक्षाएँ राजस्थान सरकार द्वारा कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा-2021 आयोजन के कारण स्थगित की जाती है।

स्थगित की गई उक्त सभी परीक्षाओं की नई परीक्षा तिथियां बाद में घोषित कर विश्वविद्यालय वेबसाईट पर उपलब्ध करवा दी जायेगी।

(डॉ. आर. सी. कुमावत) परीक्षा नियंत्रक

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ: 470, यू.सी.सी.आई भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)
ई-मेल : rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं. : 0294-2491269

दिनांक : 26.08.2021

क्रमांक : RPCB/RO U/UDR/831

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय : श्रीमती सुमन तंवर, एम.एल.न. 16/2018 (क्षेत्रफल 1.7501 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्सपार", ग्राम-हरिआव, तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज एवं फैल्सपार मय कलस्टर (एम.एल.न. 16/2018, क्षेत्रफल 1.7501 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 103646 टन प्रतिवर्ष (रोम) हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुमन तंवर, एम.एल. नं. 16/2018 (क्षेत्रफल 1.7501 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्सपार", ग्राम-हरिआव, तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज एवं फैल्सपार मय कलस्टर (एम.एल.न. 16/2018, क्षेत्रफल 1.7501 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 103646 टन प्रतिवर्ष (रोम) ग्राम हरिआव एवं कलस्टर खनन परियोजना कलस्टर संख्या UD-01/41 E जिसमें कुल 26 खनन पट्टे (एमएल नं. 97/2011, 196/2010, 179/2010, 197/2010, 175/2010, 64/2010, 02/2009, 159/2010, 170/2010, 137/2010, 160/2010, 165/2010, 158/2010, 184/2010, 144/2010, 327/08, 38/2010, 153/2010, 01/2010, 161/2010, 154/2010, 152/2010, 200/2010, 141/2010, 201/2010 एवं 16/2018) जिसका कुल कलस्टर क्षेत्रफल 144.61 हैक्टेयर एवं कलस्टर की कुल उत्पादन क्षमता 2386864 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है।
2. और चूंकि श्रीमती सुमन तंवर ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति के लिये आवेदन किया है।
3. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन पर्यावरण एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
4. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-
   1. कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर।
   2. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल-4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   3. क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, पंचम-तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर एच. अलीगंज, लखनऊ-226024 (UP)।
   4. उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर, जिला-उदयपुर
   5. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर
   6. निदेशक पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
   7. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड़ औद्योगिक, क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 27.09.2021 (सोमवार) को दोपहर 1.00 P.M. बजे, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ग्राम पंचायत हरियाव, तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ: 470, यू.सी.सी.आई भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)
ई-मेल : rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं. : 0294-2491269

दिनांक : 26.08.2021

क्रमांक : RPCB/RO U/UDR/835

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय : श्री खेम सिंह राव, एम.एल.न. 13/2018 (क्षेत्रफल 3.8789 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्सपार", ग्राम-खास की मादड़ी, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज एवं फैल्सपार मय कलस्टर (एम.एल.न. 13/2018, क्षेत्रफल 3.8789 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 157232 टन प्रतिवर्ष (रोम) हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री खेम सिंह राव, एम.एल. नं. 13/2018 (क्षेत्रफल 3.8789 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्सपार", ग्राम-खास की मादड़ी, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज एवं फैल्सपार मय कलस्टर (एम.एल.न. 13/2018, क्षेत्रफल 3.8789 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 157232 टन प्रतिवर्ष (रोम) ग्राम खास की मादड़ी एवं कलस्टर खनन परियोजना कलस्टर संख्या UD-02/29 E जिसमें कुल 14 खनन पट्टे (एमएल नं. 85/07, 05/13, 33/05, 34/05, 459/11, 250/12, 24/11, 102/11, 23/11, 28/11, 198/12, 437/11, 94/12 एवं 24/2013) जिसका कुल कलस्टर क्षेत्रफल 68.2594 हैक्टेयर एवं कलस्टर की कुल उत्पादन क्षमता 2800000 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है।
2. और चूंकि श्री खेम सिंह राव ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति के लिये आवेदन किया है।
3. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन पर्यावरण एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
4. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-
   1. कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर।
   2. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल-4 पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   3. क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, पंचम-तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर एच. अलीगंज, लखनऊ-226024 (UP)।
   4. उपखण्ड अधिकारी, मावली, जिला-उदयपुर
   5. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर
   6. निदेशक पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
   7. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड़ औद्योगिक, क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 27.09.2021 (सोमवार) को प्रातः 11:00 A.M. बजे, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ग्राम खास की मादड़ी, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

कब्जा मुक्त कराने के लिए

उदयपुर, (कासं)। चंपा बाग में सुविवि के स्वामित्व कि 7 अरब की 14.59 हेक्टेयर जमीन कब्जा मुक्त नहीं करने और निर्माण कार्यों के नहीं रुकने के मामले में प्रदेश महासचिव कुशलेश चौधरी एवं विज्ञान महाविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष चिराग चौधरी के नेतृत्व में कलेक्ट्री प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया

ज्ञापन में बताया कि प्रदेश सरकार ने सुविवि को चंपा बाग में जमीन आवंटित की थी हाईकोर्ट ने इस पूरे भूभाग पर स्टे लगा दिया था लेकिन कई भूमाफिया एवं नगर निगम की मिलीभगत से इस पर अवैध निर्माण करवा लिए जिसको लेकर एनएसयूआई ने प्रदर्शन कर मांग रखी की जो अवैध निर्माण हुए उन कब्जे से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक किए जाए और जल्द से जल्द चंपा बाग में चल रहे निर्माण कार्य को रोका जाए यदि नहीं रोका गया तो एनएसयूआई जल्द ही सडको पर उतर कर आंदोलन करेगी और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन...

इस दौरान प्रदे... महाविद्यालय छात्र... अध्यक्ष अमित पाल... प्रदेश संयोजक मे... कृष्णावत, सुशील... उपस्थित थे।

अपहरण कर मौताणा मांगने वाले गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। मौताणा वसूली के लिए वृद्ध का अपहरण करने के मामले में पुलिस ने अपहृत को दस्तियाब कर परिजनों को सौंपा तथा दो अपहर्ताओं को गिरफ्तार किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित वासेला निवासी लक्ष्मण पुत्र चन्दू परमार ने मण्डवाल कोटड़ा निवासी केसरा पुत्र भूरा नागोतरा सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया कि 23 अगस्त को आरोपी मौताणा वसूली के लिए मेरे दादा वासेला निवासी रणसा (60) पुत्र नाणा का अपहरण कर ले गए। जिन्हें बंधक बना रखा है। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर कोटड़ा थानाधिकारी चांदमल सिघारिया के निर्देशन में अनुसंधान अधिकारी हेडकांस्टेबल सोहनलाल मय टीम ने अनुसंधान में मिले साक्ष्यों के आधार पर अपहृत रणसा को दस्तियाब कर परिजनों को सौंपा तथा इस मामले में अपहर्ता मण्डवाल निवासी केसरा पुत्र भूरा तथा किरा पुत्र भूरा को गिरफ्तार किया। जिनसे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि दस वर्ष पूर्व आरोपी पक्ष के व्यक्ति का शव मिला था। उस समय दोनों पक्षों के पंचों की बातचीत में मौताणा तय हुआ था। जिसकी वसूली के लिए आरोपियों ने रणसा का अपहरण किया था।

युवक का शव मिला

उदयपुर, (कासं)। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में अज्ञात युवक का लहुलूहार हालत में शव मिला जिसे पुलिस ने एमबी चिकित्सालय मोर्चरी में रखवाया।

गुरूवार सवेरे प्रतापनगर थाना क्षेत्र युनिवर्सीटी गेट के समीप आरटीओ जाने के लिए बनी रोड़ किनारे पुराने तरणताल में अज्ञात युवक को शव पड़ा होने की सूचना मिली। इस पर प्रतापनगर थानाधिकारी विवेकसिंह मय जाप्ता मौके पर पहुंच कर उच्चाधिकारियों को सूचना दी। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, पुलिस उप अधीक्षक राजीव जोशी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे जहां करीब पच्चीस वर्षीय युवक जिसने मटमेला जिंस व पीली टी शर्ट पहने थी उसके शरीर पर चोटों के निशान थे एवं खून से लथपथ हालत में पड़ा था। । इधर एफ एस एल एवं एमओबी टीम ने मौके पर पहुंच कर आवश्यक साक्ष्या जुटाए। पुलिस ने मृतक को एमबी चिकित्सालय मोर्चरी में रखवा उसकी शिनाख्तगी के प्रयास शुरू किए। इस मामले में पुलिस ने सत्यप्रकाश मूनदड़ा पुत्र मदन मूंदड़ा की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पंकज का...

उदयपुर, (कासं)। उ... कुमार शर्मा को जिला... पर कांग्रेस कार्यकर्ता... एवं गुलदस्ता भेंट क...

नाम प...
कैलाश चन्...
केशुराम कुमावत... कि मेरी दतक... कुमावत के पिता... कुमावत एवं मा... लक्ष्मी कुमावत... भार्गवी कुमावत... कैलाश कुमावत... कैलाशी देवी... हनुंमन्तीया, (मध्यप्रदेश) प...

कार्यालय नगर...
क्रमांक:-...-II/2021-2...
अनापत्ति क्रमांक-3833

आम...

सर्व साधारण को... संख्या 169-डी... में स्थित है जिसका... है। इस भू-खण्ड... आरिफ हुसैन छीपा... एवं श्रीमती स... ...रफ हुसैन छीप... आयड़ छीपा मोहल्... ने अपने नाम पर... कार्यालय में दिन... आवेदन प्रस्तुत कि...

पूर्व में उक्त भूख... उदयपुर द्वारा दिनांक... गया। वर्तमान में उ... पिता श्री अयाज म... दर्ज है।

प्रार्थीगण ने उक्त... रजिस्टर्ड विक्रय... पर अपने नाम पर...

अतः समस्त आ... जाता है कि उक्त... करने के संबंध... हो तो सूचना के... भीतर इस कार्याल... दस्तावेजों के सा... करें, बाद समाप... कार्यवाही कर दी...

आयुक्त

पर्यावरणीय कलीयरेन्स हेतु जन सुनवाई

श्री खेम सिंह राव, एम.एल.न0 13/2018 (क्षैत्रफल 3.8789 हैक्टेयर)" क्वार्टज एवं फैल्सपार", ग्राम– खाम की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज एवं फैल्सपार मय कलस्टर (एम.एल.न0 13/2018, क्षैत्रफल 3.8789 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 157232 टन प्रतिवर्ष (रोम) हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत् दिनांक 27.09.2021 को प्रातः 11:00 बजे स्थान राजकिय उच्च प्राथमिक विधालय,ग्राम खाम की मादडी ,तहसील –मावली जिला उदयपुर के में आयोजित जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगणः–

क0स0	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1.	O. P. Bunkar	ADM, Udaipur	[signature]
2.	VINAY KATTA	R.O, RPCB Udaipur	[signature]
3.	R.L. Kumawat	Tehsildar Mavli	[signature]
4.	RENU PANERI	पटवारी	[signature]
5.	Ram Singh Rao	सरपंच ग्राम पंचायत	[signature]
6.	Palash Kothari	खाम की मादडी	[signature]
7.	[illegible]	खाम की मादडी	[signature]
8.	वीरम सिंह	खाम की मादडी	[signature]
9	विजयसिंह	खाम की मादडी	[signature]
10.	मोहनसिंह राव	खाम की मादडी	[signature]
11.	देवी सिंह राव खाम की	खाम की मादडी 9314087571	[signature]
12.	हरिसिंह राव	ADO P.S. Mavli	[signature]
13	भंवर सिंह	"	[signature]
14	Shardul Singh	"	[signature]
15	[illegible]	"	[signature]
16	[illegible]	"	[signature]
17	[illegible] सिंह	"	[signature]
18	भंवरसिंह	खाम की मादडी	Bhanwar Singh
19	[illegible] सिंह	" "	[signature]
20	[illegible] सिंह	गांव खाम की [illegible]	[signature]
21	[illegible] सिंह जी	खाम की मादडी	
22	रघुनाथसिंह		रघुनाथसिंह
23.			

संलग्नक:

क्र0स0	व्यक्ति का नाम	पता / विभाग / ग्राम का नाम	हस्ताक्षर
24	भवरसिंह	महुडा	भवरसिंह
25	रूपसिंह	ग्राम की मादडी	द. रूपसिंह
26	बाबा रामजी	ग्राम की मादडी	[thumb impression]
27	शालमा जी	ग्राम की मादडी	[thumb impression]
28	तेज सिंह जी	ग्राम की मादडी	तेजसिंह
29	कान सिंह जी	ग्राम की मादडी	Kan Singh
30	जितेन्द्र सिंह जी	ग्राम की मादडी	[signature]
31	नागेन्द्र सिंह जी	ग्राम की मादडी	Nagendra
32	गजेन्द्र वैष्णव	ग्राम की मादडी	[signature]
33	जसवन्त वैष्णव	ग्राम की मादडी	[signature]
34	ईश्वर सिंह	अमितालिया की मादडी	Ishwar
35	चन्द्र प्रकाश	RPCB, Udaipur	[signature]
36	Umesh Kr. Sharma	Vardan Environet Sr. Manager	[signature]
37	Mool Chand	Vardan Environet Environment officer.	Mool
38	Mahendra Kothari	17, Manglam, Tilak Nagar H.M., Udaipur	Kothari
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			